

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT, CO-ORDINATION BRANCH
5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI – 110054**

F.19(57)/Sectt./TPT/2025/54

Date: 27.03.2025

To,

Deputy Secretary (Question Cell),
Delhi Legislative Assembly,
Government of NCT of Delhi,
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub: List of Questions for the meeting of the House on 28/03/2025, Unstarred question no.227 raised by Sh. Veer Singh Dhangra.

Sir,

With reference to the letter dated 18/03/2025 received from Deputy Secretary (Question Cell), Delhi Legislative Assembly, Government of NCT of Delhi through vide letter dated 19/03/2025, received in this Office dated 20/03/2025 at 5:00 PM on the subject cited above. I am directed to forward the reply/information of Transport Department, Govt. of NCT of Delhi which is enclosed.

This issues with the prior approval of the Minister of Transport.

Encl: as above

Vishwendra
Spl. Commissioner (Transport)

F.19(57)/Sectt./TPT/2025/54

Date: 27.03.2025

Copy for information to:

1. PS to ACS-cum-Commissioner (Transport)
2. PS to Spl. Commissioner (Transport)

Vishwendra
Spl. Commissioner (Transport)

विभाग का नाम— परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार

प्रश्न संख्या—227

सदस्य का नाम—श्री वीर सिंह धिंगान

क्या माननीय परिवहन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क0 सं0	प्रश्न	उत्तर																																
क.	क्या यह सत्य है कि दिल्ली में मेट्रो लाइन का और भी विस्तार किया जायेगा:	यह सत्य है कि दिल्ली में मेट्रो लाइन का और भी विस्तार किया जाएगा।																																
ख.	यदि हाँ, तो दिल्ली में मेट्रो लाइन का कुल कितना विस्तार कहाँ-कहाँ प्रस्तावित है	डीएमआरसी फेस-4 निर्माणाधीन 112.42 किलोमीटर का प्रस्तावित विस्तार <table><tr><th>कस0</th><th>विवरण</th><th>लंबाई(किमी0)</th><th>स्टेशन(संख्या)</th></tr><tr><td>1.</td><td>लाईन-7 एक्सटेंशन: मजलिस पार्क-मौजपुर</td><td>12.318</td><td>8</td></tr><tr><td>2.</td><td>लाईन-8 एक्सटेंशन: जनकपुरी पश्चिम-आर. के.आश्रम</td><td>29.262</td><td>22</td></tr><tr><td>3.</td><td>लाईन-10 एरोसिटी-तुगलकाबाद</td><td>23.622</td><td>15</td></tr><tr><td>4.</td><td>लाईन-5 एक्सटेंशन: इन्द्रलोक-इन्द्रप्रस्थ</td><td>12.377</td><td>10</td></tr><tr><td>5.</td><td>लाईन-11 लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक</td><td>8.385</td><td>8</td></tr><tr><td>6.</td><td>लाईन-1 एक्सटेंशन:रिठाला-कुंडली</td><td>26.463</td><td>21</td></tr><tr><td></td><td>कुल लंबाई</td><td>112.427</td><td>84</td></tr></table>	कस0	विवरण	लंबाई(किमी0)	स्टेशन(संख्या)	1.	लाईन-7 एक्सटेंशन: मजलिस पार्क-मौजपुर	12.318	8	2.	लाईन-8 एक्सटेंशन: जनकपुरी पश्चिम-आर. के.आश्रम	29.262	22	3.	लाईन-10 एरोसिटी-तुगलकाबाद	23.622	15	4.	लाईन-5 एक्सटेंशन: इन्द्रलोक-इन्द्रप्रस्थ	12.377	10	5.	लाईन-11 लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक	8.385	8	6.	लाईन-1 एक्सटेंशन:रिठाला-कुंडली	26.463	21		कुल लंबाई	112.427	84
कस0	विवरण	लंबाई(किमी0)	स्टेशन(संख्या)																															
1.	लाईन-7 एक्सटेंशन: मजलिस पार्क-मौजपुर	12.318	8																															
2.	लाईन-8 एक्सटेंशन: जनकपुरी पश्चिम-आर. के.आश्रम	29.262	22																															
3.	लाईन-10 एरोसिटी-तुगलकाबाद	23.622	15																															
4.	लाईन-5 एक्सटेंशन: इन्द्रलोक-इन्द्रप्रस्थ	12.377	10																															
5.	लाईन-11 लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक	8.385	8																															
6.	लाईन-1 एक्सटेंशन:रिठाला-कुंडली	26.463	21																															
	कुल लंबाई	112.427	84																															
ग.	क्या यह भी सत्य है कि सीमा पुरी विधान सभा क्षेत्र को भी मेट्रो से जोड़ा जाएगा,	मेट्रो परियोजना अत्यधिक पूंजी गहन है, इसलिए परियोजनाओं को चरणों में कार्यान्वित किया जाता है। पूरे शहर को एक ही चरण में मेट्रो नेटवर्क से कवर करना वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है। भविष्य में, तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर, सरकार की मंजूरी के अधीन, उन क्षेत्रों के लिए जहां मेट्रो सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, मेट्रो सेवाओं पर विचार किया जाएगा।																																
घ.	यदि हां तो क्या दिल्ली में सीमा पुरी विधानसभा पुर्नवास कालोनी, नई सीमा पुरी, सुंदर नगरी, नंद नगरी, जीटीबी एंकलेव को भी मेट्रो से जोड़ा जाएगा																																	
ड.	यदि हां तो कब तक और																																	
च)	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?																																	

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (परिवहन विभाग) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

हस्ताक्षर

Vishnuendra

विशेष आयुक्त (परिवहन विभाग)